भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3659
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

भारत की राजकोषीय स्थिरता का संरक्षण

3659. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्विक प्रशुल्क विवादों, आपूर्ति-शृंखला के पुनर्संयोजन और भू-राजनीतिक संघर्षों से उत्पन्न दीर्घकालिक बाह्य आघातों से भारत की राजकोषीय स्थिरता, निर्यात और निवेश प्रवाह को सुरक्षित रखने हेतु कोई आकस्मिक ढांचा विकसित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बढ़ते डिजिटलीकरण और औपचारिकीकरण के माध्यम से कर आधार को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कर अनुपालन को सरल और अधिक पूर्वानुमेय बनाने हेतु कोई सुरक्षा उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने घरेलू वित्तीय बचत में गिरावट तथा इक्विटी और डेरिवेटिव बाजारों में खुदरा भागीदारी में तीव्र वृद्धि का घरेलू वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो निवेशक सुरक्षा तथा वित्तीय साक्षरता को सुदृढ़ बनाने हेतु विचाराधीन उपाय कौन-कौन से हैं और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं?

<u>उत्तर</u>
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): सरकार बाह्य भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से राजकोषीय स्थिरता, निर्यात और निवेश प्रवाह की रक्षा करने के लिए एक समन्वित, बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाती है। नवगठित आर्थिक स्थिरीकरण निधि सहित राजकोषीय बफर प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों और महत्वपूर्ण राजकोषीय निहितार्थों वाली अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राजकोषीय लचीलापन प्रदान करेगा।

उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, आरईएलआईईएफ (निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक संबंधी हस्तक्षेप) योजना, भारत समुद्री बीमा पूल, आरओडीटीईपी लाभों की बहाली, लक्षित सीमा शुल्क राहत और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 जैसे उपाय शुरू किए गए हैं। सरकार मुक्त व्यापार करारों और व्यापक आर्थिक भागीदारी/सहयोग करारों के माध्यम से व्यापार संबंधी लचीलेपन को भी बढ़ावा रही है, जबकि निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित कर रही है। विदेशी वाणिज्यिक ऋण फ्रेमवर्क के उदारीकरण, विदेशी निवेश की सुविधा और स्थानीय मुद्रा निपटान को बढ़ावा देकर बाह्य क्षेत्र की समुत्थानशीलता को बढ़ाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे उपाय भी इन प्रयासों में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

(ख) सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कर अनुपालन को सरल बनाने और अधिक पूर्वानुमेय बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत छोटे आपूर्तिकर्ताओं को निर्धारित टर्नओवर सीमा तक पंजीकरण से छूट प्रदान की गई है। पात्र करदाता रियायती कर दरों और सरलीकृत अनुपालन अपेक्षाओं सहित कंपोजिशन लेवी योजना का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा, ₹5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को मासिक कर का भुगतान करते समय तिमाही आधार पर जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति है।

आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग, पहले से भरे हुए रिटर्न, फेसलेस मूल्यांकन और डिजिटल करदाता सेवाओं जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से प्रत्यक्ष कर अनुपालन को सरल बनाया गया है। आयकर अधिनियम, 2025 डिजिटल लेनदेन करने वाले व्यवसायों के लिए उच्च टर्नओवर सीमा के साथ सरलीकृत अनुमानित कराधान योजनाओं का भी प्रावधान किया गया है, जिससे अनुपालन आवश्यकताएं कम हो जाती हैं।

(ग) आरबीआई द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, निवल घरेलू वित्तीय बचत 2022-23 में ₹13.9 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹21.5 लाख करोड़ हो गई। हाल के वर्षों में प्रतिभूति बाजार में खुदरा भागीदारी भी काफी बढ़ गई है, जिसमें मार्च 2026 के अंत तक डीमैट खातों की कुल संख्या लगभग 22.5 करोड़ हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2026, दर्शाती है कि उधारकर्ता प्रोफाइल और बेहतर पुनर्भुगतान परफॉर्मेंस में सुधार के साथ घरेलू क्षेत्र समुत्थानशील बना हुआ है ।

निवेशक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक बेहतर जोखिम प्रबंधन और निगरानी फ्रेमवर्क स्थापित किया है और अत्यधिक सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने और बाजार की अखंडता को बनाए रखने के लिए 2024-25 के दौरान इक्विटी व्युत्पन्न क्षेत्र में विनियामक उपाय शुरू किए हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बाजार अवसंरचना संस्थानों, अर्थात् स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागार के सहयोग से, भौतिक और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2025-26 के दौरान, इसने बाजार अवसंरचना संस्थानों के साथ मिलकर 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 774 जिलों में 44,834 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहक और निवेशक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी उपाय किए हैं, जिसमें विनियमित संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पाद विपणन का विनियमन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पंजीकृत संस्थाओं के स्टॉक ट्रेडिंग अनुप्रयोगों के लिए एक 'सत्यापित' बैज और धोखाधड़ी वाली ऑनलाइन निवेश गतिविधियों का पता लगाने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट एसयूडीएआरएसएन शामिल हैं।
